फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री खेमराज सिंह पिता श्री भँवर सिंह रावत, निवासी कालागुमान पोस्ट ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 31/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 20.08.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा जरिये पत्रांकः– उपदे/सूचना/2019/57 दिनांक 31.07.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 49–50 दिनांक 16.07.2019 को निशुल्क तैयार की जाकर जरिये डाक द्वारा अपीलार्थी को भीजवाई गई परन्तु अपीलार्थी कही बाहर जाने एवं घर पर आने की संभावना नही होने के कारण उपडाकपाल द्वारा डाक पुनः इस कार्यालय में लौटा दी गई। एवं दिनांक 30.07.2019 को अपिलार्थी से दुरभाष पर संपर्क करने पर अपीलार्थी ने बैंगलोर होना बताया। एवं बैगलोर से आने पर ही सूचना प्राप्त करने के लिए बताया।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, देवगढ द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये डाक द्वारा के सूचना भेज दी जावेगी। फिर भी नही मिलने पर कार्यालय समय मे उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त करें।

अतः लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार वांछित सूचना 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)